कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में महत्वपूर्ण/प्रमुख घटनाएं

अगस्त, 2019 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

1. सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपहार स्वीकार करने संबंधी केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में संशोधन को दिनांक 06.08.2019 के का.ज्ञा. सं. 11013/02/2019-स्था.क-।।। के माध्यम से अधिसूचित किया गया।
2. सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई तथा दिनांक 01.08.2019 को इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
3. रोटेशनल स्थानांतरण नीति, 2018 के तहत 250 अवर सचिव और 211 अनुभाग अधिकारी स्थानांतरित किए गए।
4. कर्मचारी चयन आयोग ने दिनांक 02.08.2019 से लेकर 22.08.2019 तक बहु-कार्य (गैर-तकनीकी) कर्मचारी परीक्षा (पेपर-।) का संचालन किया। साथ ही, आयोग द्वारा दिनांक 20.08.2019 को अपनी वेबसाइट पर संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा (सीजीएलई), 2018 के टीयर-। का परिणाम अपलोड किया गया।
5. मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा विभिन्न अनुसूची क एवं ख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) में 13 मामलों (04 सीएमडी/एमडी और 09 कार्यात्मक निदेशकों) में नियुक्तियों को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमण्डल सचिव/एसीसी द्वारा समय-पूर्व प्रत्यावर्तन के आठ (08) प्रस्तावों, निजी सचिव की नियुक्ति संबंधी दस (10) प्रस्तावों, कार्यकाल विस्तार संबंधी दस (10) प्रस्तावों, विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति के पांच (05) प्रस्तावों और पुनर्नियुक्ति के तीन (03) प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, चौदह (14) अधिकारियों को डीसीओ (जनगणना कार्य निदेशक) के तौर पर नियुक्त किया गया।
6. पीईएसबी, डीओपीटी ने 10 (दस) पदों [सीएमडी/एमडी के लिए 04 (चार) पद और निदेशक के लिए 06 (छह) पद] के लिए विज्ञापन जारी किए।
7. दिनांक 26.08.2019 से लबासना, मसूरी और एमसीआर एचआरडी संस्थान में सिविल सेवा प्रशिक्षणार्थियों के लिए संयुक्त फाउण्डेशन पाठ्यक्रम शुरू किया गया।425 अधिकारियों ने लबासना, मसूरी में संयुक्त फॉउण्डेशन पाठ्यक्रम में भाग लिया जिसमें भूटान रायल गर्वेन्मेंट से 11 और डॉ एमसीआर एचआरडी संस्थान से 100 प्रतिभागी शामिल थे।
8. अगस्त माह के दौरान आईएसटीएम में 19 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इसमें 02 सीएसएस-सीटीपी और 03 सीएसएसएस-सीटीपी कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की संख्या 550 थी।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गएः-

क) दिनांक 05.08.2019 के का.ज्ञा. सं. 11013/1/2016-स्था.क-।।। के जरिए सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 15(1)(ग) के तहत निर्वाचित कार्यालय धारण करने हेतु मंजूरी।

ख) दिनांक 27.08.2019 के का.ज्ञा.सं. 25013/1/2013-स्था.क-IV के जरिए एफआर 56(जे) और सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के तहत आवधिक समीक्षा के माध्यम से प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिनिधित्व समिति की संशोधित संरचना।

ग) दिनांक 23.08.2019 के का.ज्ञा. सं. 36035/2/2017-स्था.(आरक्षण) के माध्यम से बेंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्तियों के संबंध में परीक्षा शुल्क और आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट।